न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील/टी.ए./6467/2006/श्रीगंगानगर

1– सोहनलाल पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम मन्नीबाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर

–अपीलार्थी

बनाम

1– लालचन्द पुत्र श्री मल्लूराम जाति जाट निवासी ग्राम मन्नीबाली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर

–प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थितः–

श्री अमृतपाल सिंह वानर, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री मनीष पाण्डिया, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 29–03–2023

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या–79/2006 बउनवानी लालचन्द बनाम सोहनलाल में पारित निर्णय दिनांक 14–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थी के विरूद्ध एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि चक 32 एएमपी के प0न0 82/169 मु0न0 2 किला नम्बर 1 से 5, प0न0 83/169 मु0न0 3 किला नम्बर 1, 2, 9 से 12 की कुल 13बीघा भूमि उसकी खातेदारी में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी की जमीन पूर्व में संयुक्त खाता में दर्ज थी और वादी एवं प्रतिवादी ने अपना खाता अलग से कायम करवा लिया है।

वादी ने प्रतिवादी को प0न0 83/169 मु0न0 3 के किला नम्बर–2 की 01बीघा भूमि 3000/–रूपये प्रतिबीघा की दर से वर्ष 2003 को ठेके पर काश्त करने हेतु दी। प्रतिवादी ने गत दो वर्ष का ठेका वादी को नहीं दिया। वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 23–9–2005 को कहा कि तीन वर्ष्ज्ञ का ठेका राशि दो नहीं तो जमीन पर से कब्जा हटा लो, तो प्रतिवादी ने कहा न तो ठेका राशि दूगा और ना ही भूमि का कब्जा दूंगा, जिस पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रातिवादी को बेदखल कर वर्ष 2003 से 3000/–रूपये प्रतिबीघा की दर से मिन्स प्रोफिट दिलाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध दिनांक 28–10–2005 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 29–04–2006 से वादी को वाद डिक्री करते हुए प्रतिवादी को विवादित आराजी से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश पारित किये। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 14–09–2006 से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादी सोहनलाल ने दावा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली हेतु किया था, जो दावा दिनांक 29–4–2006 को विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया। प्रतिवादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जिसे उन्होंने दिनांक 14–9–2006 को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। जब प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा पेश कर दिया तो तामिल की प्रक्रिया के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है और राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश 41 नियम 27सीपीसी का प्रार्थनापत्र भी तय नहीं किया। प्रथम अपील न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व प्रार्थनापत्र का निस्तारण करें। जब दावा डिक्री हुआ तथा डिक्री की पालना में घटनाबही के अनुसार कब्जा वादी को मिल गया, इसलिए अब इस प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं है। राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां धारा 180 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश किया, जो मन्जूर हो गया। ऐसी स्थिति में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही भी नहीं की जा सकती। इसलिए अपील स्वीकार की जावे।

5- विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये, उनकी तामील कभी नहीं हुई। चस्पानगी के आधार पर तामिल मानकर एकपक्षीय कार्यवकाही की गयी जबकि चस्पानगी का कोई आदेश भी नहीं है। जब प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ तो प्रथम अपील न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने के लिए प्रकरण किया गया गया है, जो सही है। इसलिए अपीलार्थी की यह अपील खारिज की जावे।

6- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7- प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी पर नोटिस की तामिल को पर्याप्त नहीं मानते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है। आदेश 5 नियम 17सीपीसी के परिप्रेक्ष्य में यदि प्रतिवादी मौके पर नहीं मिलता है और अपने आप को तामील से बचाने का प्रयास करता है तो उसके खुले मकान पर सहज दृश्य भाग पर तामील कुनिन्दा दो गवाहों की मौजूदगी में सम्मन चस्पा कर सकता है और वह तामील पर्याप्त मानी जा सकती है लेकिन मौजूदा प्रकरण में तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि बार बार जाने पर भी प्रतिवादी मिला नहीं या उसने अपने आप को तामील से बचाने का प्रयास किया हो और फिर दो व्यक्तियों की मौजूदगी में खुले मकान पर सहज दुश्य भाग पर नोटिस चस्पा किया जाना आवश्यक है, इन शर्तो की पालना नहीं हुई है और तकनीकी आधारों पर प्रकरण का निस्तारण तो किया जा सकता है लेकिन न्याय के उद्धेश्य की प्राप्ति नहीं होती है। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त है कि दोनों पक्षों को सुनकर ही विधिवत् गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए, जल्दबाजी में या तननीकी आधारों पर किया गया निर्णय उचित नहीं है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि - ''चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया हौ और ना ही अपीलान्ट प्रतिवादी पर समुचित रुप से तामील होना पाई जाती है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर प्रकरण का निर्णय देने हेतु हम रिमाण्ड करना उचित समझते है।''

8- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह कथन की जवाबदावा पेश कर दिया था, मानने योग्य नहीं है क्योंकि मूल वाद में लिखी गयी आदेशिकाओं में निर्णय होने तक जवाबदावा पेश करने का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषित निर्णय में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से अपीलार्थी की यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

11- परिणामः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा अपील संख्या-79/2006 बउनवानी लालचन्द बनाम सोहनलाल में पारित निर्णय दिनांक 14-09-2006 की पुष्टि की जाती है। बेदखली का वाद पुराना होने से विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 27-4-2023 से एक माह के भीतर प्रतिवादी अपना जवाबदावा प्रस्तुत करें, उसके उपरान्त एक माह के भीतर विचारण न्यायालय तनकी कायम करें। तनकी बनाये जाने की तिथि से दो माह में वादी अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य पेश करें, उसके अगले दो माह में प्रतिवादी अपनी सम्पूर्ण साक्ष्य पेश करें तत्पश्चात् दोनों पक्षों की साक्ष्य पूर्ण होने पर उभयपक्ष को सुनकर एक माह में विधिसम्मत् निर्णय पारित करें और प्रकरण में अनावश्यक कोई स्थगन नहीं दिया जावे और आवश्यक होने पर ही 15दिवस से अधिक के समय का स्थगन नहीं दिया जावें।

12- पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27-4-2023 को उपस्थित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य